...न पुत्र सोरन सिंह जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

——सायलान—02

बनाम

...सिंह पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0।

——गैरसायलान—14

दिनांक	फर्द अहकाम	
25-6-2024	आज यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान को एकतरफा सुना गया। मजाहमत मदाखलत नही करने, शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने , एवं रहनव्यय नही करने हेतु उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2031, 2051, 2052, 2054, 2055, 705, 752 वाके ग्राम ढिण्ढोरा, 1, 2, 3, 4, 5, 61, 62, 63 वाके ग्राम धंधावली, 1248, 1249, 1625, 2252, 2253, 2254 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ में उक्त आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 25.07.2024 को पेश हों। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
8/7/24	पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] सायलान वकील [illegible]। सायलान वकील ने [illegible] कि सायलान व [illegible] प्रकरण आगे [illegible] नहीं चाहते हैं। प्रकरण नोटप्रेस में खारिज कराना चाहते हैं। अतः [illegible] [illegible] किया जाता है। [illegible]	Notepress (S) (S.L. Chaudhary) Adv.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:42:37 IST
Reason: SelfAttested